न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 2019/57

1. सवाई सिंह पुत्र स्व0 बैरीशाल सिंह जाति राव राजपूत निवासी बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती आशा देवी पत्नी हरिसिंह
2. जसवन्त सिंह पुत्र हरिसिंह
3. भवानी सिंह पुत्र हरिसिंह
   समस्त जाति राव राजपूत निवासीयान बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण –

वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956
व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दिनांक : 15/04/2021

निर्णय –

वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:

साबिक खसरा नंबर 526 रकबा 8 बिस्वा वाकै ग्राम बगरू रावान पटवार हल्का [illegible] जयपुर की भूमि आवानिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र तहसील सांगानेर [illegible] 665 रुपये में जगदीश सिंह के नाम से थी जिसको वादी ने [illegible] तथा तब से वादी जगदीश सिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी [illegible] विक्रय पत्र तस्दीक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है परन्तु उक्त भूमि [illegible] नही करवाया है। जगदीश सिंह की मृत्यु होने पर उक्त भूमि उसके पुत्र हरिसिंह पुत्र जगदीश सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गयी तथा हरिसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। उक्त साबिक खसरा नंबर के दौराने सेटलमेन्ट हाल खसरा नंबर 702

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रकबा 0.07 है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 706 रकबा 0.02 किस्म गै0मु0 रास्ता कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 है0 बने। जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हरिसिंह की मृत्यु होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से अंकित है। उक्त भूमि पर वादी का अर्सेदराज से कब्जा काश्त रहा है तथा शुरू से बनी खसरा गिरदावरी में वादी का जौता के रूप में नाम अंकित है तथा मौके पर वादी का कब्जा करीब 50 वर्षो से बिना किसी बाधा व आक्षेप से रहा है। तथा वादी ने उक्त भूमि को बतौर प्रतिफल क्रय किया है। इस प्रकार वादी एक मात्र उक्त भूमि का मालिक व स्वामी है। वादी डाक विभाग जयपुर में टेकनिशियन पद पर कार्यरत थे तथा जयपुर में निवास करते थे। वादी ने कई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा ससुर व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा जगदीश सिंह तथा जगदीश सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता हरिसिह को उक्त भूमि का विक्रय पत्र वादी के नाम से करवाने के लिए कहता रहा है परन्तु उन्होने उक्त भूमि अपने जीवनकाल में नही करवाई तथा कहते रहे कि उक्त भूमि आपके कब्जे काश्त में है उक्त भूमि का हमसे कोई लेना देना नही है तथा उक्त भूमि का विक्रय पत्र उन्होने अपने जीवन काल में नही करवाया। हरिसिंह की मृत्यु के बाद वादी ने उक्त भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम से करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत तीन को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत तीन ने कहा कि हम अपने नाम से विक्रय पत्र तस्दीक नही करवायेगे आप हमें उक्त भूमि का विकय पत्र तस्दीक करवाने के लिए वर्तमान दर से रूपये अदा करो तथी विक्रय पत्र तस्दीक करवायेगें। प्रतिवादीगण दिनांक 15. 10.2019 को कुछ दिगर व्यक्तियों के साथ लेकर वादी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर आये और विक्रय बाबत् बातचित करने लगे तो वादी ने कहा कि उक्त भूमि को अर्सेदरासज पूर्व आपके दादा स्व0 जगदीश सिंह से क्रय की है तथा 50 वर्ष से मेरा कब्जा काश्त है तो प्रतिवादीगण ने कहा कि उक्त भूमि का विक्रय पत्र हम किसी दिगर व्यक्ति के नाम से करवा देगे जो कब्जा अपने आप खाली करवा लेगा। इस कारण वादी को यह वाद पत्र वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करनो लाजमि हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि साबिक खसरा नंबर 526 रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 702 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 706 रकबा 0.02 [illegible] ग्राम बगरू रावान पटवार हल्का अवानीया तहसील सांगानेर जिला जयपुर [illegible] प्रतिवादी संख्या एक के ससुर व प्रतिवादी संख्या दो व तीन के दादा [illegible] को वैध्य प्रतिफल दिये जाने तथा 50 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज काश्त [illegible] के कारण खातेदार काश्तकार घेाषित किया जावे और उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत तीन को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया

...क कलक्टर जयपुर ... द्वितीय

...यक कलक्टर ... शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जावे कि उक्त वर्णित हाल खसर नंबर का विक्रय पत्र, इकरारनामा, रहननामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से तस्दीक नही करे और न ही किसी दिगर व्यक्ति से वादी के कब्जेकाश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करवाये तथा वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करवाये, तथा प्रतिवादी संख्या चार को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रतिवादी संख्या पांच को उक्त आराजीयता का विक्रय पत्र, इकरारनामा, मुख्तयारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से तस्दीक नही करने बाबत् पाबन्द फरमाया जावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी संवत् 2074–77 की प्रमाणित प्रति, भू–प्रबंध विभाग मिला क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जाकर नकल वकील अप्रार्थी/वादी को दिलाई गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित है कि साबिक खसरा नंबर 526 के हाल खसरा नंबर 702 रकबा 0.07 हैक्टेयर खसरा नंबर 706 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 0.09 हैक्टेयर ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर संवत् 2019 से लेकर वर्तमान तक उपरोक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी के पूर्वजों एवं वर्तमान में स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण लगातार काश्त करते आ रहे हैं, विभिन्न समय पर विभिन्न फसले उगाते आ रहे है। वादीगण का वादअधीन भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है ना ही कभी रहा हैं। वादीगण ने बिना कब्जे के वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने कब्जे स्वामित्व के संबंध में कोई भी दस्तावेजात रजिस्ट्री, इकरारनामा पेश नही किये है। इसलिए वादीगण का उक्त वादीपत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा जब भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा के दस्तावेज ही नही है तो झूठा एवं मनगढंत वाद हेतुक दिनांक 15.10.2019 को बनाकर जो दावा पेश किया है। वादीगण का वाद बिना कब्जे एवं साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात के अभाव में एवं वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] बाई लॉ होने के कारण निरस्तनीय हैं वादी ने [illegible] है वादी माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त झूठे तथ्य [illegible] प्रतिवादीगण को हैरान के समक्ष क्लीन हैण्ड से दावा प्रस्तुत नहीं किया [illegible] प्रस्तुत किया गया हैं। परेशान करने व भूमि पर स्थगन लेने के उद्देश्य से [illegible] इसलिये भी वादी का वाद खारिज योग्य है। वादी [illegible]लत बिनायदावा के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है एवं सिविल प्रक्रिया के आज्ञापक प्रावधानो के तहत प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार सांगानेर को धारा 80 सी0पी0सी0 बिना नोटिस दिये उक्त वाद प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जाने योग्य है। वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत वाद पत्र की पूर्ति नही की है। इसलिए वादी का वाद काबिले खारिज हयोग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानो के तहत सव्यय खारिज किये जानें का आदेश फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि साबिक खसरा नंबर 526 रकबा 8 बिस्वा वाकै ग्राम बगरू रावान पटवार हल्का आवानिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र तहसील तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि जगदीश सिंह के नाम से थी जिसको वादी ने वर्ष फरवरी 1969 में 665 रूपये में जगदीश सिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी बगरू रावान से क्रय की थी तथा तब से वादी काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है परन्तु उक्त भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाया है। जगदीश सिंह की मृत्यु होने पर उक्त भूमि उसके पुत्र हरिसिंह पुत्र जगदीश सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गयी तथा जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हरिसिंह की मृत्यु होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन के नाम से अंकित है उक्त भूमि पर वादी का अर्सेदराज से कब्जा काश्त रहा है तथा शुरू से बनी खसरा गिरदावरी में वादी का जौता के रूप में नाम अंकित है तथा मौके पर वादी का कब्जा करीब 50 वर्षो से बिना किसी बाधा व आक्षेप से रहा है। तथा वादी ने उक्त भूमि को बतौर प्रतिफल क्रय किया है। इस प्रकार वादी एक मात्र उक्त भूमि पर मालिक व स्वामी है। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 15.10.19 को दिगर व्यक्तियों के साथ आकर वादी के कब्जे काश्त व क्रयशुदा भूमि को दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने व भूमि खाली करवाने की धमकी देने से उत्पन्न होने पर अप्रार्थी/वादी ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया है। तथा वाद पत्र के साथ कब्जे के सबंध में खसरा गिरदावरी पेश की है। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नही बताया है कि अप्रार्थी/वादी का वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित हैं। इस कारण भी प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही काबिले खारिज है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी यह नही बताया है कि अप्रार्थी/वादी ने किस प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पत्र की पूर्ती नही की है। इस कारण भी प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली व दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 यह कथन करने हुये अंकित किया है कि साबिक खसरा नंबर 526 रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 702 रकबा 0.07 है0 किश्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 706 रकबा 0.02 किश्म गै0मु0 रास्ता कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरू रावान पटवार हल्का आवानिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के ससुर व प्रतिवादी संख्या दो व तीन के दादा जगदीश सिंह को वैध्य प्रतिफल दिये जाने तथा 50 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण खातेदार काश्तकार घेाषित किया जावे और उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत तीन को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वादी का कथन की वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या एक के ससुर व प्रतिवादी संख्या दो व तीन के दादा जगदीश सिंह को वैध्य प्रतिफलद से खरीदी है वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे काश्त में है लेकिन वादी द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाया गया है।

इस प्रकार वादी द्वारा वाद के समर्थन में कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत नही किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वादी ने प्रतिवादीगण के पूर्वजो से उक्त वादग्रस्त आराजी क्रय की हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्ट्या ही चलने योग्य नही है व बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15 [illegible] 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner